संख्या-78/2025/आई/969910/2025/001-23-14002(003)/22/2025

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो की मरम्मत/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ग्रामीण श्रेणी मार्ग हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के 35 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-13162/CE-HQ1/CHINIMILL/BAR/2025-26, दिनांक 02.05.2025, 13174/CE-HQ1/CHINIMILL/BAR/2025-26, दिनांक 03.05.2025, 13209/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 05.05.2025, 13210/CE-HQ1/CHINIMILL/MRT/2025-26, दिनांक 05.05.2025, 13263/CE-HQ1/CHINIMILL/MBD/2025-26, दिनांक 06.05.2025, 13326/CE-HQ1/CHINIMILL/BAR/2025-26, दिनांक 08.05.2025, 13327/CE-HQ1/CHINIMILL/MRT/2025-26, दिनांक 08.05.2025, 13346/CE-HQ1/CHINIMILL/MRT/2025-26, दिनांक 08.05.2025, 13356/CE-HQ1/CHINIMILL/SAH/2025-26, दिनांक 09.05.2025, 13397/CE-HQ1/CHINIMILL/BAR/2025-26, दिनांक 09.05.2025, 13398/CE-HQ1/CHINIMILL/MRT/2025-26, दिनांक 09.05.2025 एवं 13452/CE-HQ1/CHINIMILL/GKP/2025-26, दिनांक 10.05.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो की मरम्मत/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित 35 चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 295.43 लाख (रूपये दो करोड़ पंचानवे लाख तैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक लागते	बचत	बचत उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. बदायूं	कैसोपुर रोड से सरननई मार्ग का अवशेष भाग पर विशेष मरम्मत	6.72	1.70	5.02	0.01	3.50
2	प्रा.ख. बदायूं	ग्राम जखेरी से उनौला मार्ग भाग-प्रथम का विशेष मरम्मत का कार्य	5.73	0.81	4.92	0.02	3.99
3	प्रा.ख. बदायूं	बदायूँ ककराला उसहैत मार्ग से शादीपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत	13.28	2.35	10.93	0.01	7.64
4	नि.ख.-4 सीतापुर	फरदापुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	7.03	0.97	6.06	4.89	0.03
5	प्रा.ख. बागपत	लुहारा से सिलाना मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	28.13	3.95	24.18	13.00	6.69
6	प्रा.ख. बागपत	चिरचिटा से इण्टर कोलिज कमाला जुड हजुराबाद गढ़ी मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	11.26	0.54	10.72	6.41	1.47

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	प्रा.ख. बागपत	ग्राम इदरीशपुर से कृष्णा नदी की ओर मार्ग मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	19.43	0.8	18.63	11.04	2.56
8	प्रा.ख. बागपत	जौहडी बिजली घर से बिजवाडा सीमा तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	19.53	3.15	16.38	7.26	6.41
9	प्रा.ख. मुरादाबाद	कुण्डेसरा मार्ग से पीपली ऊमर ग्राम तक मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	20.41	2.45	17.96	6.33	7.96
10	प्रा.ख. मुरादाबाद	पन्नूवाला से करनावाला जब्दी मार्ग में मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	23.65	2.09	21.56	10.92	5.64
11	प्रा.ख. बागपत	महनवा-चौहल्दा सडक से अहैडा रेलवे स्टेशन तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	12.65	1.20	11.45	0.52	8.34
12	प्रा.ख. बागपत	ग्राम मीतली से नाले की पटरी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	15.74	2.28	13.46	6.75	4.27
13	प्रा.ख. बागपत	दिल्ली सहारनपुर रोड से अब्दुलपुर खास की पटरी की विशेष मरम्मत का कार्य।	27.28	0.42	26.86	0.62	18.48
14	प्रा.ख. बागपत	पॉची कबिस्तान से बड़ागॉव मन्दिर तक मार्ग (प्रथम भाग) की विशेष मरम्मत का कार्य।	13.46	0.12	13.34	0.50	8.92
15	प्रा.ख. बागपत	मीतली से निबाली द्वितीय भाग मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	10.38	1.90	8.48	0.40	6.87
16	प्रा.ख. बागपत	आरिफपुर खेडी से फतेहपुर पुट्ठी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	34.00	7.94	26.06	0.70	23.10
17	प्रा.ख. बागपत	बडौत-बिजरौल मार्ग शाहमल स्थल से होते हुये प्राईमरी स्कूल तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	5.87	0.24	5.63	0.20	3.91
18	प्रा.ख. बागपत	ग्राम हेवा से कुर्डी तुगाना तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	25.17	4.25	20.92	12.5	5.12
19	प्रा.ख. बागपत	बागपत मेरठ रोड से चौहल्दा नहर की पटरी की विशेष मरम्मत का कार्य।	21.78	0.38	21.40	0.62	14.63
20	प्रा.ख. बागपत	गॉधी से निबाली मार्ग से निबाली क्रय केन्द्र तक की विशेष मरम्मत का कार्य।	7.38	0.66	6.72	0.30	4.87
21	प्रा.ख. बागपत	रटौल निरोजपुर एम्मा सम्पर्क मार्ग से नंगलाबडी मार्ग की विशेष मरम्मत का काय।	20.8	0.15	20.65	2.60	11.96
22	प्रा.ख. बागपत	ग्राम पांची से ढिकौली मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	18.11	0.30	17.81	1.99	10.69
23	नि.ख. सहारनपुर	एन.डी.एम. मार्ग से नानौता खाद गोदाम मार्ग पर बाक्स कलवर्ट का कार्य।	22.38	5.78	16.60	0.05	15.62
24	नि.ख.-	भगवंतापुर बझेड़ा से नारायण नगला रोड का विशेष	19.57	6.47	13.10	0.06	12.39

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	1 पीलीभीत	मरम्मत कार्य					
25	नि.ख.1 पीलीभीत	दौलापुर पिपरिया नहर से अधकटा गांव तक विशेष मरम्मत कार्य	8.14	2.81	5.33	0.01	5.05
26	नि.ख.1 पीलीभीत	खमरिया पुल कनाकोर रोड से भगवंतपुर ढकिया नत्था मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	64.47	20.27	44.20	21.58	20.41
27	नि.ख.1 पीलीभीत	बीसलपुर चांदपुरा रोड से कनगवां मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	15.41	5.59	9.82	9.03	0.30
28	नि.ख.1 पीलीभीत	ईटगांव बमरौली मार्ग से ककराई गौटिया नांद तक प्रथम भाग मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	12.86	3.73	9.13	5.29	3.38
29	नि.ख.1 पीलीभीत	भगवन्तपुर ढकिया नथा मार्ग से भगवन्तपुर बझेड़ा बाजार तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	53.59	16.09	37.50	17.87	17.76
30	नि.ख. मेरठ	मेरठ सरधना रोड़ से बटजेवरा मार्ग विशेष मरम्मत का कार्य।	34.92	3.03	31.89	20.00	4.44
31	नि.ख. मेरठ	बहादुरपुर मार्ग से बुबकपुर मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	8.32 7.69	0.81	6.88	0.10	5.28
32	नि.ख. मेरठ	जंगेठी लखवाया रोड से घसौली मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	4.09	0.24	3.85	0.10	2.76
33	नि.ख. मेरठ	सरधना बिनौली मार्ग से मैनापुठी(ट्यूबवेल तक) के विशेष मरम्मत का कार्य।	5.79	0.13	5.66	0.10	3.95
34	नि.ख.-3 गोरखपुर	पादरी बाजार पिच रोड से मोहनापुर होते हुए चुन्नीपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	50.45	3.78	46.67	0.10	35.22
35	नि.ख. मेरठ	रोहटा रोड से सिघांवली तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	2.74	0.11	2.63	0.10	1.82
		योग					**295.43**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों की समस्त शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ओन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल०प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,95,43,000 (रुपये दो करोड़ पंचानबे लाख तैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 3054043370800 चीनी मिल परिक्षेत्र में मार्गो की मरम्मत /नवीनीकरण/ विशेष मरम्मत कार्य मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन ।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन ।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11 एवं 12, उ0प्र0 शासन ।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।